



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 36320 वर्ष 2000

विनोद कुमार शर्मा, चालक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

जिलाधिकारी एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 34

एस.एन. 8

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

सिविल विविध पुनर्स्थापन आवेदन संख्या 3 वर्ष 2018, विलंब क्षमा आवेदन के साथ।

1. याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह, जिनकी सहायता श्री तुषार सिंह द्वारा की गई, जो विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम श्याम द्विवेदी की ओर से पैरवी कर रहे हैं, तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. वर्तमान पुनर्स्थापन आवेदन याचिकाकर्ता की ओर से विलंब क्षमा आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। वर्तमान याचिका दिनांक 22.12.2017 के आदेश द्वारा डिफॉल्ट के कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निरस्त कर दी गई थी, क्योंकि दिनांक 22.12.2017 को याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। मामले के विवाद की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने यह अभिलिखित किया था कि या तो वाद हेतुक अब अस्तित्व में नहीं रहा है अथवा याचिकाकर्ता ने मामले में रुचि खो दी है या याचिका निष्फल हो गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले में वाद हेतुक अभी भी विद्यमान है तथा वर्तमान पुनर्स्थापन आवेदन दाखिल करने में केवल 13 दिनों का विलंब हुआ है, क्योंकि पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 08.02.2018 को दाखिल किया गया था। ऐसी स्थिति में, चूँकि प्रतिवादियों की ओर से विलंब क्षमा आवेदन पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, अतः पुनर्स्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को एतद्वारा क्षमा किया जाता है और विलंब क्षमा आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है। दिनांक 22.12.2017 को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न होने के संबंध में दर्शाया गया कारण पर्याप्त है। तदनुसार, पुनर्स्थापन आवेदन भी स्वीकार किया जाता है और वाद को उसकी मूल संख्या पर पुनर्स्थापित किया जाता है।

रिट याचिका

4. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 15.07.2000 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे को निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को आगरा के कलेक्ट्रेट विभाग में चालक के पद पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप न करने हेतु निर्देशित किए जाने की प्रार्थना भी की है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रारंभ में वर्ष 1991 में तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से चालक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह वर्ष 1993 तक सेवा में कार्यरत रहा। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने अपने नियमितीकरण हेतु निर्देश दिए जाने की प्रार्थना करते हुए रिट याचिका संख्या 1501 वर्ष 1994 दाखिल की। उक्त रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 07.01.1994 के आदेश द्वारा किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि यदि पद रिक्त है और कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है, तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार विचार करेंगे तथा उसे सेवा में समायोजित करने का प्रयास करेंगे और यदि संभव हो तो उसे नियमित भी कर सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक आदेश दो सप्ताह के भीतर पारित किए जाने की अपेक्षा की गई थी। तथापि, प्रतिवादियों ने निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया और मामला विचाराधीन रहा। तत्पश्चात्, वर्तमान याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 17307 वर्ष 1995 दाखिल की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 30.06.1995 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, आगरा को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का कारणयुक्त आदेश द्वारा निस्तारण करने का निर्देश दिया तथा यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय होने तक अथवा मामले की अगली सूचीबद्ध तिथि तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता को चालक के पद पर कार्य करते रहने दिया जाए और उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त आदेश के बावजूद, यद्यपि याचिकाकर्ता सेवा में कार्य करता रहा और उसे नियमित वेतन का भुगतान भी किया जाता रहा, तथापि प्रतिवादियों द्वारा नियमितीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- 11.05.2000 के आदेश द्वारा उक्त याचिका डिफॉल्ट के कारण निरस्त कर दी गई, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि समय बीत जाने के कारण रिट याचिका निष्फल हो गई है और तदनुसार उसे निष्फल मानते हुए निरस्त कर दिया गया।
6. तत्पश्चात्, दिनांक 15.07.2000 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.07.2000 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की, जिसमें दिनांक 25.08.2000 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त न करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता चालक के पद पर सेवा में कार्यरत है और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुसार उसे नियमित वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है।
7. आज याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है, जिसमें अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल), आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2010 संलग्न किया गया है। उक्त आदेश द्वारा प्रतिवादियों ने वर्ष 1991 से याचिकाकर्ता की निरंतर सेवा को देखते हुए याचिकाकर्ता को समस्त नियमित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है और प्रतिवादियों द्वारा बाद में पारित आदेशों के माध्यम से सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को नियमित वेतन प्रदान किया गया। इस प्रकार, दिनांक 06.02.2010 के आदेश के पश्चात् याचिकाकर्ता चालक के रूप में कार्य कर रहा है तथा चालक के पद के नियमित वेतन एवं भत्ते आदि, वेतनवृद्धि सहित, उसे समय-समय पर प्रदान किए जा रहे हैं और वेतन में समस्त अंतर की धनराशि का भी याचिकाकर्ता को भुगतान कर दिया गया है।
8. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर) के नियमितीकरण नियमावली, 1979 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियम 4 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति दिनांक 30.06.1998 से पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया था, वह नियमितीकरण का हकदार है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1991 से है और वह लगातार चालक के पद पर कार्य कर रहा है तथा उसे नियमित वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है, केवल नियमितीकरण का औपचारिक आदेश पारित किया जाना शेष है।

9. ऐसी स्थिति में, वर्तमान याचिका **स्वीकार** की जाती है और दिनांक 15.07.2000 के आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के नियमितीकरण का औपचारिक आदेश पारित करें, जो दिनांक 07.01.1994 से प्रभावी होगा, जिस दिन रिट याचिका संख्या 1501 वर्ष 1994 में इस न्यायालय द्वारा नियमितीकरण के याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किए जाने के संबंध में प्रथम आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता विधि के अनुसार सभी परिणामी लाभों का भी हकदार होगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पारित किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 11 अगस्त, 2026

ओ.के.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”